(सत्यप्रतिलिपि)

न्या–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.

(आदेश दिनांक 09.11.2020)

ज.या.क. 261/2020

1. आकाश पिता घेवरचंद बरडिया, उम्र 30 वर्ष,
2. उत्कर्ष बरडिया पिता घेवरचंद बरडिया, उम्र 28 वर्ष,

उपरोक्त दोनों निवासी नूतन स्कूल के पास, धमतरी, जिला धमतरी छ.ग...आवेदकगण/अभियुक्तगण

–विरूद्ध–

छ0ग0 शासन,...अनावेदक/अभियोजन

09-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 62/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा श्री अनिल गांधी, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री मोहित देवांगन, अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण केस डायरी/जमानत आवेदन धारा 438 दं.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पत्र धारा 438 द0प्रं0सं0 पर उभय पक्षों को सुना गया।

आवेदन पत्र के अनुसार आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध थाना मगरलोड के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है। उक्त धारा में थाना मगरलोड द्वारा किसी भी समय आवेदकगण को गिरफ्तार किया जा सकता है। आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है। उन्हें झूठे तरीके से प्रकरण में फंसाया गया है। उनका यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं उच्चतम न्यायालय दिल्ली में कोई आवेदन लंबित नहीं है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदकगण अग्रिम जमानत पर रिहा होकर न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों एवं आदेशों का पालन करने हेतु तत्पर है।

अतः अग्रिम जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया।

शासन की ओर श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदकगण की ओर से आवेदन के समर्थन में अपने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश अग्रिम जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है।

आरक्षी केन्द्र मगरलोड, जिला धमतरी की केस डायरी के अुनसार प्रार्थी बहुर राम साहू पिता स्व. भरोसा साहू ग्राम डाभा, तहसील व थाना मगरलोड, जिला धमतरी की शिकायत जांच की कार्यवाही किया जा रहा है। भू–अभिलेख एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.08.2013 के अनुसार आवेदक आकाश एवं उत्कर्ष के द्वारा ख.नं. 1060 एवं 1061 की भूमि को श्यामलाल पिता नन्हई के पक्ष में पंजीकृत विक्रयनामा निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर श्यामलाल पिता नन्हई के पक्ष में राजस्व अभिलेख तैयार किया गया है। आवेदकगण की ओर से पेश राजस्व आदेश दिनांक 29.10.2020 के अनुसार ख.नं. 1060, 1061 वर्ष 2010–11 के बी–1 खसरा पांचसाला के अनुसार वादभूमि बहुर राम पिता भरोसा राम के नाम पर दर्ज थी, जिसे आवेदकगण द्वारा 2011–12 में श्यामलाल पिता नन्हई के नाम पर विक्रय कर दी गयी है और उक्त विक्रय पत्र निष्पादन के पूर्व आवेदकगण के द्वारा चांदमल वल्द स्व. हजारीमल बरडिया की अंतिम इच्छापत्र दिनांक 20.07.1999 के आधार पर उनके नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के पश्चात् विक्रय किया गया है, जिसे सिविल प्रकृति की होने से निराकरण का क्षेत्राधिकार न होना बताते हुए नस्तीबद्ध किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना प्रतीत होता है। थाना मगरलोड द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन केस डायरी की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित थाना मगरलोड की केस डायरी वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आदेश की प्रति न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कुरूद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आदेश की प्रति सहित केस डायरी थाना मगरलोड को वापस प्रेषित।
3. लोक अभियोजक, धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी(छ.ग.)